प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर ग्रेप नौटंकी शुरू

फ़रीदाबाद (म.मो.) प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर शासन-प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य जनता को लूटना व प्रदूषण बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना है। ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान के नाम से प्रशासन ने अपनी नौटंकी शुरू कर दी है। तीसियों बरस पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व पर्यावरण मंत्रालय बनाए गए जिन्होंने जनता को जम कर लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। वाहनों से वसूली के लिए धूमा पर्ची यानी वाहन की जांच करा कर प्रमाण पत्र लेना, से भी जब लुटेरों का पेट नहीं भरा तो वाहनों की आयु दस व पंद्रह वर्ष तय कर दी गई यानी डबल लूट। दिल्ली में भारी वाहन के प्रवेश पर भारी भरकम वाणिज्यिक शुल्क लगा दिया गया।

पैसा उगाही के लिए किये गए इन तमाम पाखंडों से वायु की शुद्धता में कोई वृद्धि नहीं होनी थी, सो नहीं हुई। अब बीते 2-3 साल से "ग्रेप" का यह नया नाटक शुरू कर दिया गया है। इस नाटक में प्रशासन

के विभिन्न विभाग- नगर निगम, पुलिस, परिवहन, हुडा आदि 16 विभाग मिल कर संयुक्त रूप से प्रदूषण नियंत्रण हेतु काम करेंगे। नगर निगम वाले ट्रैक्टर टैंकरों से सड़कों पर पानी छिड़कने के नाम पर अच्छे खासे बिल बनाएंगे। निर्माणाधीन भवनों व निर्माण सामग्री बेचने वालों की गर्दन पर ग्रेप की तलवार रख कर वसूली करेंगे, प्रदूषण नियंत्रण विभाग इसी तरह ईंट भट्टों व अन्य उद्योगों को ग्रेप दिखाकर वसूली बढ़ा देंगे।

ट्रैफिक पुलिस विशेष अभियान चला कर भारी वाहनों से नौ एंट्री वसूलेगी। यानी कि नो एंट्री का उल्लंघन करने वालों से ठीकठाक वसूली हो जाएगी। लेकिन सड़कों पर बेखौफ एवं खतरनाक ढंग से दौड़ने वाले ट्रैक्टर ट्राली व टैंकर निर्बाध रूप से चलते रहेंगे। सड़कों के किनारे अवैध रूप से खड़े होकर यातायात में व्यवधान पैदा करने वाले वाहनों को भी पुलिस नहीं छेड़ेगी। विदित हो कि यातायात में व्यवधान से जाम लगता है, ईधन की खपत बढ़ती है तो साथ में धुँवा भी अधिक बढ़ता है।

नगर निगम, हुड्डा, स्मार्ट सिटी कंपनी, एफएमडीए, सड़कों पर पानी छिड़काव का ड्रामा तो करेंगे लेकिन उन टूटी एवं तहस नहस हो चुकी सड़कों को दुरुस्त नहीं कराएंगे जिनसे सारा शहर धूल-धूसरित हुआ रहता है।

शहर भर की 60-60 फुट चौड़ी सड़कें अवैध कब्जों के चलते मात्र 30-30 फुट की रह गई हैं जिनके कारण हर वक्त जाम लगे रहने से वाहन धुँवा उगलते रहते हैं। बिजली सप्लाई फेल होने से जनरेटरों का धुँवा कौन से प्रदूषण को नियंत्रित करता है? कुल मिलाकर प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर शासन-प्रशासन ने जनता का लहू पीना है और डक्का नहीं तोड़ना। अपने यहाँ जलने वाला कूड़ा -कचरा तो इन्हे जलता नजर नहीं आता पर सैकड़ों मील दूर जलती पराली का धुआं इन्हे जरूर नजर आ जाता है।

ओयो होटल : प्रशासन की लूट कमाई का साधन, जनता हो रही परेशान

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर भर के गलियों कूचों में कुकुरमुत्तों की तरह उगते जा रहे ओयो होटलों से जहां एक ओर प्रशासनिक अधिकारियों की लूट कमाई बढ़ रही है वहीं रिहायशी सेक्टरों व गली मोहल्लों में रहने वालों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसी ही एक परेशानी को लेकर बीते सोमवार को एन आई टी नंबर एक निवासियों ने एम सी एफ कमिशनर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कोई कार्यवाही अथवा सुनवाई करने की अपेक्षा कमिश्नर यशपाल यादव कार में बैठ कर निकल गए। जाहिर है कि प्रदर्शन या शिकायत करने वालों की संख्या इतनी नहीं थी जिसका कोई दबाव कमिश्नर पर पड़ता।

मामला कुछ यों था कि एक नंबर के एक रिहाइशी मोहल्ले में गैरकानूनी रूप से एक मकान किराये पर लेकर उसमे ओयो होटल खोल दिया गया था। इस तरह के होटलों में अय्याशी करने वाले घंटों के हिसाब से कमरे लेकर आते जाते रहते हैं। इससे तंग गलियों में कारें खड़ी होने से आवागमन कठिन हो जाता है। उस दिन मोहल्ले वालों ने एक नाबालिग बच्ची व उसके साथी को इस होटल से निकलते पकड़ लिया और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह उनका मामला नहीं है नगर निगम के पास जाओ। विदित है कि रिहाइशी इलाकों में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकती। इसके बावजूद हुडा के तमाम सेक्टरों से लेकर एनआईटी के लगभग तमाम क्षेत्रों में ओयो होटल खोल दिए गए हैं। धंधेबाज किसी भी सूटेबल मकान को किराये पर लेकर ओयो का पट्टा लगा देते हैं।

देखा जाए तो इस गैरकानूनी धंधे को रोकने के, लिए एमसीएफ, 'हुडा' व पुलिस सभी सक्षम हैं, सभी को इन्हे रोकने का पर्याप्त अधिकार है। अपने इस अधिकार के बूते उक्त तीनों महकमें अच्छी लूट कमाई करते हैं, लेकिन शिकायतें मिलने पर ये तीनों शिकायतकर्ता को एक-दूसरे की ओर धकेल देते हैं। सर्वप्रथम 'मजदूर मोर्चा' ने सेक्टर 21-ए में महिला थाने के निकट खुले एक ओयो होटल की विस्तृत खबर 2017 में प्रकाशित की थी। उसका असर यह हुआ कि जिन अधिकारियों को इसका ज्ञान नहीं था उन्हे ज्ञान हो गया और उगाही होने लगी। कुछ समय बाद सेक्टर 8 के निवासियों ने यह मामला तत्कालीन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के सामने उठाया तो उन्होंने बड़े जोर-शोर से आश्वासन तो दिया था लेकिन परिणाम वही निल बट्टा सन्नाटा।

जब सारी व्यवस्था भ्रस्टाचार की दलदल में डूबी हो तो इन चोर अधिकारियों एवं राजनेताओं के आगे गिड़गिड़ाने की बजाय, 'अपना हाथ जगन्नाथ' फार्मूले पर विचार करना चाहिए।

बेशर्म व संवेदनहीन हो चुका है एमसीएफ प्रशासन

शहर के सभी अंडरपास एक बरसात में डूब गये, आवागमन ठप्प

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते रविवार को शम को शुरू हुई बारिश से रात करीब 8 बजे ही ओल्ड फरीदाबाद वाला अन्डर पास पानी में डूब गया था जो अगले दिन शाम करीब 5 बजे आवागमन के लिए खुल सका। शेष दोनों-मेवला महाराजपुर और ग्रीनफील्ड वाले अन्डरपास यद्यपि इस संवाददाता ने नहीं देखे परंतु समझा जा सकता है कि उनकी हालत भी कोई बेहतर नहीं हो सकती।

अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोग रविवार की शाम 8 बजे के बाद अन्डरपास का इस्तेमाल करके इधर से उधर आने जाने के लिए वहाँ पहुचे होंगे खास कर पैदल चलने वाले, उनपर क्या बीती होगी। इनमे महिलायें व बुजुर्ग भी शामिल होंगे जिनके लिए कई किलोमीटरों का चक्कर काट पाना असंभव नहीं तो बहुत भारी तो जरूर पड़ा होगा। ऐसे में ये लोग प्रशासन के 'साथ-साथ' प्रशासन के मालिक खट्टर को कितनी गालियां व मलामतें देते हुए वहाँ से गए होंगे, समझा जा सकता है।

वैसे इन बेशर्म लोगों के तो मुह पर भी गालियां दे दी जाएँ तो भी इन्हे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि हरामखोरी व

रिश्वतखोरी ने इनकी खाल जरूरत से कहीं ज्यादा मोटी कर दी है। एमसीएफ व स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड द्वारा गरीब करदाता के हजारों करोड़ डकारने के बावजूद न तो शहर में ढंग की सड़कें बची हैं न सीवर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। और न ही पेय जल की समस्या काबू में आ रही है। तथाकथित विकास के नाम पर हजारों करोड़ डकारने के अलावा अवैध कब्जे व निर्माणों से जो लूट कमाई हो रही है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है।

इतनी सारी लूट कमाई के बावजूद जो शासन प्रशासन अपने नागरिकों को अंडरपास जैसी बनी बनाई सुविधा से भी एकाएक वंचित करदे तो जनता को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

डेंगू से करनाल जिले में 4 सालों में 104 लोगों की हो चुकी है मौत

करनाल। करनाल जिले में भी डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक जिले में डेंगू के 50 मरीज मिल चुके हैं। लोगों को एक तो डेंगू का डर सता रहा है, ऊपर से बाजार में डेंगू के समय में प्रयोग होने वाले पदार्थों के रेट आसमान पर पहुंच गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सिविल अस्पताल में 120 बेड का स्पेशल वार्ड तैयार कर दिया है। लारवा जांचने वाली टीमों का चेकिंग समय बढ़ा दिया है। टीम अभी तक 2 लाख 39 हजार घरों में जांच कर चुकी है। इनमें से 5079 घरों में डेंगू का लारवा मिला है। दूसरी तरफ नगर निगम ने शहर में फॉगिंग का काम तेज कर दिया है।

जिले में पिछले चार साल में डेंगू से 104 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वर्ष अब तक 50 मामले सामने आए हैं। वर्ष 2020 में 93 केस और 2 मौत हुई थी। 2019 में 29 केस और एक मौत हुई थी। 2018 में 104 केस और 17 मौत हुई थी। 2017 में 234 केस और 85 मौत हुई थी।